Jagran, Ludhiana

July 2026

Value Rs. 9 Lakh

बिना चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी वाले 292 सिगरेट के पैकेट जब्त

- स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की छापामारी
- संबंधित दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी किया जारी

जागरण संवाददाता, लुधियाना : पंजाब खाद्य व औषधि प्रशासन (एफडीए) की आयुक्त कमलप्रीत कौर बराड़ के निर्देश पर मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया। इसके तहत चार संयुक्त प्रवर्तन दलों का गठन किया गया, जिसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर, एक फूड सेफ्टी अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी शामिल थे। टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे साबुन बाजार, हरगोबिंदपुरा और कूचा नंबर बारह सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सात सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की।

इस दौरान एक दुकान से अनिवार्य चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी के बिना 292 सिगरेट पैकेट बरामद किए गए। सभी पैकेट को कोटपा अधिनियम के तहत मौके पर ही जब्त कर लिया गया। संबंधित दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन रमनदीप कौर ने बताया कि सभी विक्रेताओं से अपील की गई है कि वे केवल उन्हीं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करें जिन पर निर्धारित चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां अंकित हों। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साबुन बाजार चौक के पास सिगरेट तंबाकू दुकानों पर रेड के दौरान जांच करती ड्रग डिपार्टमेंट व फूड डिपार्टमेंट की टीम साथ पुलिस बल • गौरव कनौजिया

Translation

On the instructions of Punjab Food and Drug Administration (FDA) Commissioner **Kamaldeep Kaur**, the Civil Surgeon's Office on Tuesday conducted a special inspection drive to ensure compliance with the **Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA)**.

Four joint enforcement teams were formed, comprising a Drug Inspector, a Food Safety Officer and a Police Officer. The teams conducted raids at shops selling cigarettes and tobacco products in various parts of the city, including **Sabun Bazaar, Haibowal and Kucha Number 14**.

During the operation, **292 cigarette packets without the mandatory pictorial health warnings** were recovered from one shop. All the packets were seized on the spot under the provisions of the COTPA Act. A **show-cause notice** was also issued to the concerned shopkeeper.

- **Health Department teams conducted raids in various areas of the city.**
- **Show-cause notices were also issued to the concerned shopkeepers.**

A team was seen inspecting cigarette and tobacco shops near **Sabun Bazaar Chowk** during the raid. The Drug Department and Food Department teams were accompanied by police personnel. The seized material has been taken into custody and further legal action has been initiated.

Civil Surgeon Dr. Sandeep Kaur stated that all vendors have been advised to sell **only those tobacco products that carry the prescribed pictorial health warnings**. Strict legal action will be taken against those found violating the regulations.